न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ़, जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी अपील संख्या : 48/14/2026
सी.आई.एस. नंबर : 14/2026

01. कृपाल मीना पुत्र श्री कंचनलाल मीना उम्र 35 साल निवासी ईशवाना तहसील रैणी, जिला अलवर (राज.) **.....अपीलान्ट/प्रतिवादी**

ब ना म

01. सुखलाल सैनी पुत्र श्री लल्लूराम सैनी उम्र 40 साल निवासी आम की वाल, राजगढ जिला अलवर (राज.) **.....रेस्पोडेन्ट/वादी**

"न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या–02, राजगढ़ (अलवर) की पीठासीन अधिकारी श्रीमती रचना मीना, आर.जे.एस. द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 34/133/2002 (132/2021) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2025 के विरूद्ध दीवानी नियमित अपील"

उपस्थितिः–

(1) विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा, अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से।
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनलाल जैमन, रेस्पोंडेन्ट/वादी की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः 20 अप्रैल, 2026**

01. अपीलान्ट/प्रतिवादी कृपाल की ओर से यह दीवानी नियमित अपील विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या–02, राजगढ जिला अलवर द्वारा दीवानी वाद संख्या 34/133/2022 (132/2021) उनवान सुखलाल बनाम कृपाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलांट मूल प्रकरण में प्रतिवादी तथा रेस्पोडेन्ट वादी थे। अतः इस निर्णय में भी अपीलान्ट को प्रतिवादी व रेस्पोडेन्ट को वादी कहकर संबोधित किया जाएगा।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/वादी की ओर से दिनांक 30.09.2021 को अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद बाबत आदेशात्मक व्यादेश व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि "वादी का एक आवासीय भूखण्ड वाके महालक्ष्मी मैरिज होम के पीछे, कस्बा राजगढ तहसील राजगढ़ (अलवर) में स्थित है। उक्त भूखण्ड का नंबर 16 था, जिसकी लम्बाई 59 फुट सिरा दक्षिण पूर्व–पश्चिम तथा सिरा उत्तर पूर्व–पश्चिम 60 फुट है तथा उक्त भूखण्ड की चौडाई सिरा पश्चिम 42.6 फुट व सिरे दक्षिण 35 फुट थी। उक्त प्लॉट में से वादी के द्वारा तरफ पश्चिम का हिस्सा पूर्व–पश्चिम 39 फुट व उत्तर–दक्षिण सिरे पश्चिम 42.6 फुट तथा सिरे पूर्व उत्तर दक्षिण 35 फुट का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.06.2012 को

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री विकास मेहता जाति यादव निवासी ग्राम लाडपुर पोस्ट हरसीरी तहसील बानसूर (अलवर) को कर दिया और सुनीता देवी ने उक्त प्लॉट प्रतिवादी कृपाल को विक्रय कर दिया तथा शेष प्लॉट वादी के पास है। वादी के प्लॉट की पैमाईश निम्न प्रकार है, पूर्व–पश्चिम सिरें दक्षिण 20 फुट, पूर्व–पश्चिम सिरे उत्तर 21 फुट, उत्तर–दक्षिण 35 फुट है तथा चार सीमाएँ निम्न प्रकार है– तरफ दक्षिण को रास्ता 20 फुट चौड़ा जिस पर प्लॉट का निकास जारी है, तरफ उत्तर को रास्ता 8 फुट चौडा, तरफ पूर्व को धन्ना लाल सैनी का खेत व तरफ पश्चिम को प्लॉट प्रतिवादी का स्थित है। उक्त प्लॉट को दावे के साथ पेश नजरी नक्शे में ए, बी, सी, डी से मार्क कर रंग सुर्ख से दर्शित किया गया है तथा दबाई गई 2 फुट चौडी व 35 फुट लम्बी भूमि को रंग हरा से दर्शित किया गया है तथा छज्जे को रंग पीला से दर्शित किया गया है। प्रतिवादी ने उक्त प्लॉट को खरीदने के पश्चात् उस पर मकान निर्माण कर वादी के आवासीय भूखण्ड के सिरे पश्चिम में पूर्व–पश्चिम 2 फुट तथा उत्तर–दक्षिण 35 फुट भूमि दबाकर मकान का निर्माण कर लिया, जिस पर अभी लैण्टर डलना बाकी है तथा ढाई फुट चौडा छज्जा वादी के प्लॉट के तरफ निकाल लिया है जो कतई विधि विरूद्ध है, जिसका कि प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिये वादी अपनी उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा जो 2 फुट भूमि दबाकर निर्माण कार्य किया गया है, वह एवं वादी के भूखण्ड के तरफ पश्चिमी हिस्से में जो ढाई फुट का छज्जा प्रतिवादी द्वारा निकाला गया है, उसे हटवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी को काफी समझाया कि वह वादी के भूखण्ड संलग्न नक्शा वादपत्र रंग सुर्ख मार्क ए, बी, सी, डी पर कोई निर्माण न करें और न ही छज्जा निकाले, परन्तु प्रतिवादी प्रभावशाली व झगडालू किस्म का व्यक्ति है, जो समझाने से नहीं मान रहा है और बिना अधिकार वादी के विवादित की भूमि संलग्न नक्शा वादपत्र मार्क ए, बी, सी, डी को दबाकर निर्माण कार्य कर लिया और भूखण्ड के पश्चिमी हिस्से पर छज्जा कायम कर दिया तथा अब अन्य निर्माण कार्य करने पर उत्तारू है, इसलिए विवश होकर वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अगर प्रतिवादी के द्वारा किये गये निर्माण कार्य को हटवाया नहीं गया तो वादी को इतनी अधिक क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से नहीं कराई जा सकेगी तथा प्रतिवादी को नवीन अधिकारात भी प्राप्त हो जावेंगे, जिसके कारण पक्षकारान को अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा, इसलिये प्रतिवादी द्वारा वादी के भूखण्ड संलग्न नक्शा वादपत्र मार्क ए, बी, सी, डी को दबाकर जो निर्माण कार्य किया है एवं तरफ पश्चिम को जो छज्जा कायम किया है, उसे प्रतिवादी के खर्च से हटवाया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है तथा प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जाये कि वादी के भूखण्ड संलग्न नक्शा वादपत्र रंग सुर्ख मार्क ए, बी, सी, डी या उसके किसी भी भाग पर भविष्य में कोई निर्माण कार्य न करें। वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी से निवेदन किया गया कि आपके द्वारा जो उसके भूखण्ड की भूमि को दबाकर निर्माण कार्य किया है एवं जो ढाई फुट का छज्जा निकाला है, उसे हटा लेवें किन्तु प्रतिवादी हर बार टाल–बाल करता रहा तथा दिनांक 26.09.2021 को प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया तथा वादी के भूखण्ड पर अन्य नवीन निर्माण करने की भी धमकी दी है, इसलिए प्रतिवादी की जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी वादपत्र में चाहे गये अनुतोषों के आधार पर डिक्री किये जाने का

निवेदन किया।

03. प्रतिवादी की ओर से जबाव दावा पेश नहीं करने पर दिनांक 17.05.2023 को जवाब वादपत्र बंद किया गया।

04. प्रकरण में जवाब–दावा प्रस्तुत नहीं होने के कारण तकनीयात विरचित नहीं की गई है।

05. वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 सुखलाल के बयान लेखबद्ध कराये गये एवं प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गएः–

क्र.सं.	**दस्तावेज का विवरण**
प्रदर्श–1	नजरी नक्शा
प्रदर्श–2	दिनांक 24.08.2011 को विवादित प्लॉट खरीदने का बयनामा
प्रदर्श–3	दिनांक 12.06.2012 को विक्रय का बयनामा
प्रदर्श–4 लगायत 7	फोटोग्राफ्स
प्रदर्श–8	कमिशनर द्वारा दी गई सूचना
प्रदर्श–9	मौका रिपोर्ट
प्रदर्श–10	नक्शा मौका
प्रदर्श–11 लगायत 14	वक्त निरीक्षण कमिशनर द्वारा खिंचवाये गये फोटोग्राफ्स

06. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

07. उभयपक्षकारान की बहस सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2025 को निम्न प्रकार निर्णय पारित किया गया कि, **"अतः वादी सुखलाल का वाद बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी कृपाल स्वीकार किया जाकर इस आशय का डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी ने वादी के आवासीय भूखण्ड संलग्न नक्शा वादपत्र रंग सुर्ख मार्क ए, बी, सी, डी के पश्चिमी हिस्से पर उत्तर से दक्षिण सरासर 2 फुट भूमि दबाकर निर्माण किया है तथा वादी के भूखण्ड के पश्चिम को ढाई फुट चौडा छज्जा मार्क जी, एच, आई, एफ निकाला है, उस निर्माण को 2 माह के अंदर स्वयं हटा लेंवे। यदि प्रतिवादी 02 माह में उक्त निर्माण को नहीं हटाता है तो वादी उसे हटवाने का हकदार होगा। साथ ही प्रतिवादी को पाबंद किया जाता है कि वह वादी के भूखण्ड मार्क ए, बी, सी, डी रंग सुर्ख पर कब्जा कर निर्माण नहीं करें।"**

08. उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2025 के विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से उक्त निर्णय व डिक्री को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

09. अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.

2025 पत्रावली पर मौजूद तथ्यों की अनदेखी करते हुए कयासिया आधार पर पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा सुनीता देवी से पूर्व–पश्चिम 39 फुट तथा उत्तर–दक्षिण सिरे पूर्व 35.6 फुट व सिरे पश्चिम 42.6 फुट पैमाईश का भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.06.2021 को क्रय किया गया है और स्वयं की क्रयशुदा पैमाईश की भूमि में ही स्वयं का मकान निर्माण कराया गया है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मौका कमिशनर जारी फरमाया गया था, जिस बाबत अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही अपीलान्ट की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया। मौका कमिशनर द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, वह रेस्पोंडेन्ट से मिलकर उसके कहेनुसार तैयार की गई है, जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, जो तथ्य काबिल गौर न्यायालय श्रीमान है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर श्री भगवती प्रसाद मीना को अभिभाषक नियुक्त किया गया था किन्तु उनके द्वारा अपीलान्ट को प्रकरण की प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई, जिस कारण अपीलान्ट की ओर से प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका और ना ही स्वयं की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकी। इस कारण अपीलान्ट का पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका और ना ही वास्तविक तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष उजागर हो सके। अपीलान्ट द्वारा क्रयशुदा प्लॉट के तरफ पूर्व को खसरा नंबर 1216 गैर मुमकिन चाह की भूमि थी, जिसमें होकर आवागमन का रास्ता था किन्तु रेस्पोंडेन्ट द्वारा चाह की भूमि में आवासीय भूखण्ड का निर्माण कर लिया गया, जिस तथ्य को रेस्पोंडेन्ट द्वारा छुपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद के डिक्री किये जाने के उपरांत रेस्पोंडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 31.07.2025 की अनुपालना में इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 36/01.2026 बउनवानी सुखलाल बनाम कृपाल दिनांक 03.02.2026 को प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसकी तामील होने पर अपीलान्ट को स्वयं के विरूद्ध उक्त वाद के डिक्री होने की जानकारी हुई, जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत अविलम्ब उक्त अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की तथा अंत में अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2025 निरस्त फरमाते हुए रेस्पोंडेन्ट/वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. अपील के संबंध में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।

11. अपीलान्ट/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्यतः अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं की क्रयशुदा पैमाईश की भूमि में ही स्वयं का मकान निर्माण कराया गया है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मौका कमिशनर जारी फरमाया गया था, जिस बाबत अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही अपीलान्ट की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया। मौका कमिशनर द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, वह रेस्पोंडेन्ट से मिलकर उसके कहेनुसार तैयार की गई है, जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, जो तथ्य काबिल गौर न्यायालय श्रीमान है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलान्ट द्वारा प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर श्री भगवती प्रसाद मीना को अभिभाषक नियुक्त किया गया था किन्तु उनके द्वारा

अपीलान्ट को प्रकरण की प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई, जिस कारण अपीलान्ट की ओर से प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका और ना ही स्वयं की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकी। इस कारण अपीलान्ट का पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका और ना ही वास्तविक तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष उजागर हो सके। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलान्ट द्वारा क्रयशुदा प्लॉट के तरफ पूर्व को खसरा नंबर 1216 गैर मुमकिन चाह की भूमि थी, जिसमें होकर आवागमन का रास्ता था किन्तु रेस्पोंडेन्ट द्वारा चाह की भूमि में आवासीय भूखण्ड का निर्माण कर लिया गया, जिस तथ्य को रेस्पोंडेन्ट द्वारा छुपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि उक्त वाद के डिक्री किये जाने के उपरांत रेस्पोंडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 31.07.2025 की अनुपालना में इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 36/01.2026 बउनवानी सुखलाल बनाम कृपाल दिनांक 03.02.2026 को प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसकी तामील होने पर अपीलान्ट को स्वयं के विरूद्ध उक्त वाद के डिक्री होने की जानकारी हुई, जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत अविलम्ब उक्त अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 31.07.2025 को अपास्त करते हुए रेस्पोंडेन्ट/वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

12. रेस्पोडेन्ट/वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का विधिपूर्वक पूर्ण रूप से विवेचन कर पारित किया गया है जो कि विधि सम्मत है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा विहित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की है तथा इजराय की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने मात्र से यह अपील दायर की है, जो विहित समयावधि के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलांट/प्रतिवादी को हस्तगत प्रकरण के निर्णय व डिक्री की जानकारी बखूबी थी किन्तु अपीलान्ट जानबूझकर प्रकरण में कोई जवाब दावा व साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कराई गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान प्रकरण के संबंध में स्वयं जागरूक होकर प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत रहे। पक्षकारान अपने उक्त दायित्व से केवल मात्र इस आधार पर उन्मोचित नहीं हो सकते कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने अपील सारहीन होना कथन करते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गएः—

(1) **2025 (2) DNJ (Raj.) 499, Nandu (Smt.) VS. Tammu (Smt.) & Ors., S.B. Civil Misc. Appeal No. 2838 of 2024 decided on 17-03-2025.**

(2) 2023 (1) DNJ (Raj.) 63, Raju@Rajendra & Anr. VS. Ambalal, S.B. Civil Misc. Appeal No. 1297 of 2022 decided on 13-12-2022.

(3) 2021 (2) DNJ (Raj.) 455, Jetaram & Anr. VS. Tari Devi,

S.B. Civil Second Appeal No. 159 of 2020 decided on 19-02-2021.

(4) 2023 (4) DNJ (Raj.) 1345, Luxmi Narayan & Ors. Vs. Pana Bail (D) Thro' Lr's., S.B. Civil Second Appeal No. 172 of 2012 decided on 13-09-2023.

(5) 2014 (1) DNJ (Raj.) 405, LR's of late Tahal Singh VS. LR's of late Jagga Singh & Ors., S.B. Civil First Appeal No. 50 of 2014 decided on 14-02-2014.

(6) AIR 2005 NOC 7 (Raj.) = 2004 A I H C 3436, Ladu ram Vs. Gayatri Devi, Civil Revn. No. 306 of 2003 decided on 03-06-2004.

(7) RLW 2002 (2) 1262, Habib ahmed & Anr. VS. Gulab Devi & Ors., S.B. Civil Misc. Appeal No. 27 of 1993 decided on 05-07-2001.

13. मैंने विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया, अपील की सम्पूर्ण पत्रावली तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

14. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांकित 31.07.2025 के विवेचन से पूर्व इस अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम **धारा 5 मियाद अधिनियम** का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2025 के विरूद्ध उक्त उनवानी की अपील रेस्पोडेंट के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की हुई है, जो अपील कानूनन विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी किन्तु उक्त वाद के डिक्री किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 की अनुपालना में इजराय प्रार्थना–पत्र संख्या 36/01/2026 बउनवानी सुखलाल बनाम कृपाल दिनाँक 03.02.2026 को प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसकी तामील होने पर अपीलांट को स्वयं के विरूद्ध उक्त वाद के डिक्री होने की जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट द्वारा निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.02.2026 को आवेदन करने पर दिनाँक 16.02.2026 को प्राप्त हुई है, जिस पर अपीलांट द्वारा अपने अभिभाषक से विमर्श कर अपील तैयार कराई गई और अब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट द्वारा प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर श्री भगवती प्रसाद मीना को अभिभाषक नियुक्त किया गया था किन्तु उनके द्वारा अपीलांट को प्रकरण की प्रकिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस कारण अपीलांट की ओर से प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका और ना ही स्वयं की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकी। अर्थात् अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। इस कारण अपीलांट का पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका और ना ही वास्तविक तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष उजागर हो सके। इस प्रकार अपीलांट पूर्व से

पीड़ित है और इजराय की कार्रवाई अमल में लाये जाने से अपीलांट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा फरमाये जाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में अपीलांट के हित निहित हैं। ऐसे में यदि उपरोक्त युक्तियुक्त कारण को ध्यान में न रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसे में अपीलांट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इस कारण अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा फरमाते हुए अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना सर्वथा न्यायोचित है तथा अंत में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा फरमाते हुए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

15. धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना होता है कि अपील प्रस्तुत करने में देरी का जो कारण बताया गया है, क्या वह पर्याप्त व न्यायोचित कारण है अथवा नहीं ?

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय के जिस आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह अपील याचिका प्रस्तुत की गई है, वह आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2025 को पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। किन्तु अपीलान्ट की ओर से यह अपील आदेश की दिनांक के करीब 06 माह 20 दिन पश्चात् दिनांक 20.02.2026 को प्रस्तुत की गई है, **जिसका कारण अपीलान्ट ने अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता का प्रकरण की प्रकिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं देना बताया गया है।** इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ***2019 (2) CJ(Civ.) (SC) 414, Bhivchandra Shankar More Vs. Balu Gangaram More & Ors.*** को उद्धृत करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए जाने का निवेदन किया। उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Limitation Act, 1963 - Section 5 - Civil Procedure Code, 1908 - Section 96(2) *- Condonation of delay - Sufficient cause - Sufficient cause should be given liberal construction so as to advance sustainable justice when there is no inaction, no negligence nor want of bonafide could be imputable to appellant - Rules of limitation are not meant to destroy rights of parties - Generally, delays in preferring appeals are required to be condoned, in interest of justice, where there is no gross negligence inaction or lack of bonafide is imputable to party seeking condonation of delay - Time spent in pursuing application under Order IX Rule 13 CPC is to be taken as sufficient cause for condoning delay in filing first appeal - Impugned judgement of High Court cannot be sustained and is liable to be set aside.*

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में यह

कथन किया गया है कि धारा 5 परिसीमा अवधि के तहत न्यायोचित व पर्याप्त कारण पर विचार करते समय न्यायालय को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा किसी भी प्रकरण का निस्तारण विधि की तकनीकी बारिकियों में उलझने के बजाए गुणावगुण पर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

16. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह दर्शित होता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अवधि के संबंध में अपील की विहित समयावधि के पश्चात् हुए विलम्ब को मुख्य रूप से इस आधार पर कण्डोन किये जाने का निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई तथा अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 03.02.2026 को इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हुई है, जिसके पश्चात् निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.02.2026 को आवेदन करने पर दिनांक 16.02.2026 को प्राप्त होना और उसके बाद यह अपील याचिका अंदर मियाद पेश की है।

अपीलान्ट की ओर से लिए गए उक्त आधारों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी सम्पूर्ण विचारण कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस अंतिम दिनांक 31.07.2025 को सुनी जाकर अंतिम निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि दिनांक 15.07.2025 की आदेशिका के अनुसार स्वयं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस अंतिम हेतु पूर्व में अवसर चाहा गया था, जिसका स्पष्ट उल्लेख उक्त आदेशिका में अंकित है, जिसके आधार पर यह दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण की सम्पूर्ण विचारण प्रक्रिया के दौरान प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति प्रत्येक स्तर पर रही है। जहां तक अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से लिए गए इस तर्क का संबंध है कि उनके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के संबंध में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट/वादी की ओर से पेश किए गए न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनीय है–

न्यायिक दृष्टान्त **2025 (2) DNJ (Raj.) 499, Nandu (Smt.) VS. Tammu (Smt.) & Ors., S.B. Civil Misc. Appeal No. 2838 of 2024 decided on 17-03-2025** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि – "Party himself should be vigilant of his rights and entire blame cannot be put upon a lawyer."

इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त **2023 (1) DNJ (Raj.) 63, Raju@Rajendra & Anr. VS. Ambalal, S.B. Civil Misc. Appeal No. 1297 of 2022 decided on 13-12-2022** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि – "A litigant must be in contact with the advocate to know the progress of the case."

17. इस संदर्भ में इस अपीलीय न्यायालय का यह विनम्र मत है कि न्यायालय के समक्ष संस्थित किसी कार्यवाही में सर्वप्रथम पक्षकारान का यह

दायित्व है कि वे अपने प्रकरण के संबंध में स्वयं जागरूक होकर प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत रहे। पक्षकारान अपने उक्त दायित्व से केवल मात्र इस आधार पर उन्मोचित नहीं हो सकते कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा पेश किए गए न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनीय है।

न्यायिक दृष्टान्त **2021 (2) DNJ (Raj.) 455, Jetaram & Anr. VS. Tari Devi, S.B. Civil Second Appeal No. 159 of 2020 decided on 19-02-2021** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि – "Putting blame on the counsel that he did not inform about the judgement cannot be countenanced when the appellants not made enquiry about the status of appeal for long six years."

18. अपीलान्ट की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह प्रकट होता हो कि उसके द्वारा अपने अधिवक्ता से प्रकरण के संबंध में कब–कब जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा पेश किए गए न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनीय है।

न्यायिक दृष्टान्त **2023 (4) DNJ (Raj.) 1345, Luxmi Narayan & Ors. Vs. Pana Bail (D) Thro' Lr's., S.B. Civil Second Appeal No. 172 of 2012 decided on 13-09-2023** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि – ''परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– धारा 100– अपील पेश करने में 1044 दिनों की देरी– तर्क कि वकील ने अपीलान्ट को निर्णय के संबंध में सूचना नहीं दी– अपीलान्ट को जानकारी हुई, जब नाजिर वारण्ट तामील करने आया– विलम्ब माफ करने का पर्याप्त कारण नहीं– अपीलान्ट ने क्यों उसके वकील से 03 वर्ष तक सम्पर्क नहीं किया– देरी के लिए संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने योग्य नहीं है।''

19. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी दर्शित होता है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से प्रकरण की विचारण कार्यवाही के दौरान न तो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है और ना ही अपने जिम्मे की कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि सम्पूर्ण विचारण कार्यवाही के दौरान उनके अधिवक्ता विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से अपने अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की जानकारी नहीं दिये जाने का तथ्य आधारहीन प्रकट होता है, जिसके संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा पेश किए गए न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनीय है।

न्यायिक दृष्टान्त **2014 (1) DNJ (Raj.) 405, LR's of late Tahal Singh VS. LR's of late Jagga Singh & Ors., S.B. Civil First Appeal No. 50 of 2014 decided on 14-02-2014** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि – ''परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– धारा 96– अपील

पेश करने में 05 वर्ष 03 माह का विलम्ब– करार की विनिर्दिष्ट पालना हेतु वाद खारिज हुआ– अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि वकील ने कहा कि साक्ष्य अभिलिखित होने तक उनकी उपस्थिति आवश्यक है, गलत प्रतीत होता है– केवल अपीलान्ट्स के पिता पी.डब्ल्यू. 01 का बयान दर्ज किया गया– कोई भी विधिक प्रतिनिधि गवाह के रूप में हाजिर नहीं हुआ– वकील के विरूद्ध आरोप लगाना बहुत सुविधाजनक है– विलम्ब शमन हेतु आवेदन में सार नहीं है– निर्णीत, आवेदन व अपील खारिज किए।''

इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2005 NOC 7 (Raj.) = 2004 A I H C 3436, Ladu ram Vs. Gayatri Devi, Civil Revn. No. 306 of 2003 decided on 03-06-2004** में यह अभिनिर्धारित किया है कि – "Civil P. C. (5 of 1908), Order 9 Rule 13- Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Exparte decree- Application for setting it aside- Delay of more than seven months in filing- Condonation of- Failure by defendant ot give any sufficient cause for his non- appearance in trial court- Not a case of simple negligence on part of counsel of defendant as pleaded by him but a case of gross negligence and total inaction on his part- Failure to explain delay of more than seven months in filing application- Order dismissing application, proper."

इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त **RLW 2002 (2) 1262, Habib ahmed & Anr. VS. Gulab Devi & Ors., S.B. Civil Misc. Appeal No. 27 of 1993 decided on 05-07-2001** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि – ''सिविल प्रकिया संहिता, आदेश 9 नियम 13 व धारा 141– प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री अपास्त करना– आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन खारिज हुआ– इस आधार पर प्रतिकार किया कि उसके अधिवक्ता ने तथ्यों से अवगत नहीं कराया– अपीलार्थी के धारा 141 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर प्रदान करने की अनुमति देने हेतु न्यायालय की बाध्यता– अभिनिर्धारित– लिखित बयान दायर करने हेतु प्रतिवादी को अवसर प्रदान किया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया– न्यायालय ने लिखित बयान दायर करने के अधिकार को समाप्त किया– शांत रहा– कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया– वाद का प्रतिकार करने हेतु इच्छुक नहीं– जब स्वयं आवेदन में उल्लेखित सूचना, रिकॉर्ड का अंश एवं तथ्य विचारण का कोई कारण उजागर नहीं करते तब आवेदन के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करना न्यायालय हेतु आवश्यक नहीं और वह किसी प्रार्थना के अभाव में।– अपील खारिज।''

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होकर रेस्पोडेन्ट/वादी को पूर्ण सहायता प्रदान करते है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा लिया गया उक्त तर्क कि उनके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के संबंध में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, माने जाने योग्य नहीं है।

20. इसके अतिरिक्त जहां तक अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से सर्वप्रथम दावा निस्तारण की जानकारी रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा प्रकरण संबंधी इजराय

कार्यवाही दिनांक 23.02.2026 को प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा दिनांक 13.02.2026 को नकल आवेदन पेश करने व दिनांक 16.02.2026 को नकल प्राप्त होने संबंधी जो कथन किए गए हैं, उसके समर्थन में भी अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट पर इजराय की तामील किस दिनांक को हुई। अतः अपीलान्ट का यह तर्क भी प्रमाणित नहीं होता है कि उसे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोंडेन्ट/वादी द्वारा इजराय कार्यवाही प्रस्तुत करने पर हुई हो।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विनम्र मत में अपीलान्ट/प्रतिवादी की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का जो कारण दर्शित किया गया है, वह पर्याप्त व न्यायोचित कारण नहीं पाया जाता है, जिस कारण अपीलान्ट/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील अंदर मियाद नहीं होने से अपील में वांछित अनुतोषों के संबंध में इस अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेचन किया जाना न्यायोचित नहीं है।

:: आदेश ::

21. अतः **अपीलान्ट/प्रतिवादी कृपाल** द्वारा प्रस्तुत दीवानी अपील विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट/वादी सुखलाल के अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2025 की पुष्टि की जाती है।

22. खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

23. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ
जिला अलवर

24. निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ
जिला अलवर